

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

-: सेवानिवृत्ति आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.) एवं समकक्ष के संलग्न सूची के शिक्षा अधिकारियों को, सेवा-नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ. 1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28-12-1998, प.1 (6) वित्त/ नियम/98 दिनांक 24-05-2004 एवं प. 12(6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24-03-2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत, कार्मिक द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर, संलग्न सूची में (कॉलम संख्या-6 में अंकितानुसार) सेवानिवृत्ति-तिथि से, सरकारी-सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है।

उक्त उल्लेखित उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.) एवं समकक्ष के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।

संलग्न :- सूची (कार्मिक संख्या 01 से 06)

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45002/उजिशिअ (शा.शि.)/से.नि./2023-24/2023/ 8

दिनांक : 09-03-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
2. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
3. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/ नियन्त्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि संलग्न सूची में उल्लेखित सेवानिवृत्त होने वाले उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.) एवं समकक्ष अधिकारियों से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावे। यदि स्थानान्तरण या अन्य कारण से सेवानिवृत्त अधिकारी का वर्तमान पदस्थापन स्थान परिवर्तित हो गया हो तो नवीन पदस्थापन स्थान के अनुरूप ही कार्यवाही सुनिश्चित करावें। इस हेतु आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे।
4. सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
5. सिस्टम एनॉलिस्ट कम प्रोग्रामर (सयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को आदेश की प्रति सहित, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. सम्बन्धित संस्था प्रधान/ सम्बन्धित कार्मिक को पालनार्थ।
7. अनुभाग अधिकारी खेलकूद अनुभाग/शाला दर्पण कार्यालय हाजा।
8. रक्षित / निजी पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा-मा / संस्था / बी-2 / 45002 / उजिशिअ (शा.शि.) / से.नि. / 2023-24 / 2023 /

दिनांक : 09-03-2023

क्रम संख्या	कार्मिक का नाम	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
01	02	03	04	05	06
01	SHANKAR LAL DHOBI	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Bhilwara	BHILWARA	01-05-63	30-04-2023
02	NAVIN PARASHAR	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Jaipur	JAIPUR	06-05-63	31-05-2023
03	RAM GOPAL JEENGAR	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Chittaurgarh	CHITTAURGARH	30-06-63	30-06-2023
04	MANOHAR LAL BALAI	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Alwar	ALWAR	01-07-63	30-06-2023
05	POORAN MAL MEENA	Office of Joint Director, School Education, Bharatpur Range, Bharatpur	BHARATPUR	02-08-63	31-08-2023
06	UDYJIT	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Bharatpur	BHARATPUR	10-08-63	31-08-2023

सत्यमेव जयते


(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर